प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0
सतपुली (मु0 कोटद्वार)

Phone & Fax : +91-1382-22989
E-Mail: eepmgsysatpuli@rediffmail.com

पत्रांक 136/6सी0 दि0 02/03/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी।

विषयः– जनपद पौडी गढवाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत विकासखण्ड कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.427 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग–3 का पत्र सं0 572/X–4–15/1(339)/2015, दि0 31.07.2015।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयाकित मोटर मार्ग पर ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ROAD/11194/2015** पर 4.427 हे0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु उल्लिखित शर्तों की परिपालन आख्या निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.854 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त नं0 01 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.854 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है। (पावती की प्रति संलग्न) साथ ही प्रत्यावर्तित भूमि 4.427 हे0के सापेक्ष 8.854 हे0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है।(म्यूटेशन की प्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त नं0 02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1276490.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है। (प्रति संलग्न)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0, दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) 208/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0, दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 2908539.00 की निर्धारित धनराशि जमा करा दी गयी है (छायाप्रति संलग्न)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी	शर्त 4 के अनुपालन में सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जायेगी। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न)।
5	भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0, दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा	शर्त 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0, दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के

	योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0–25229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0पी0जी0 कॉम्पलेक्स, फेज–1, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0पी0–25229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0पी0ओ0 कॉम्पलेक्स, फेज–1, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा करा दी गयी है (पावती की छायाप्रति संलग्न)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त 06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त 7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृत निर्गत की जायेगी।	शर्त 09 के अनुपालन में उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुपालन आख्या विधिवत् स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– 1) Screenshot of online payment made.
2) वचनबद्धता प्रमाण पत्र।
3) म्यूटेशन की प्रति।
4) Form-1 (FRA)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0
सतपुली (मु0 कोटद्वार)

पत्रांक /   दि0 / /2022

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0
सतपुली (पौड़ी गढ़वाल)

Welcome to PARIVESH | Welcome to Single Window Cle... | Untitled Page | emarg.gov.in

Not secure | forestsclearance.nic.in/UserAccount/Payment_history.aspx

Apps | Uttar Pradesh Metr... | Freemail Storage U... | Next IAS Online : St... | MADE EASY PRIME | GATE, ESE and PSU... | MADE EASY PRIME | eMarg-electronic M...

PARIVESH परिवेश "Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub" Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

My Account ▾ | My Proposals Environment Clearance ▾ | Only CRZ Clearance ▾ | My Proposals Forest Clearance ▾ | My Proposals Wildlife Clearance ▾ | Help ▾ | 1:00:43 PM

	road.				NPV: 1729224/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3196117/-	Other Charges : 0/-		Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :04 Feb 2019 Transaction Date :20 Feb 2019	
5	FP/UK/ROAD/11209/2015 Kaljikhal To Falda motor road	ROAD11209201554 4	113112092015544	29 Jul 2015	CA: 1141045/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1790325/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3772700/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Road side Plantation : 841330/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :18 Feb 2016 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :20 Feb 2016 Transaction Date :25 Apr 2016	Demand Letter Generated Challan
6	FP/UK/ROAD/11194/2015 Kaljikhal To Saknibadi motor road	ROAD111942015717	113111942015717	31 Jul 2015	CA: 1853727/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 2908539/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6038756/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Road Side Plantation : 1276490/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :09 Nov 2015 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :17 Nov 2015 Transaction Date :04 Jan 2016	Demand Letter Generated Challan
7	FP/UK/ROAD/11228/2015 Jhabera To Jajedi Motor Road	ROAD112282015905	113112282015905	29 Jul 2015	CA: 1921980/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 3878550/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6678258/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Road side Plantation : 877728/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :09 Nov 2015 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :17 Nov 2015 Transaction Date :04 Jan 2016	Demand Letter Generated Challan

25°C Light rain ENG 13:00 03-03-2022

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त संख्या 04 के अनुपालन में यदि एन0वी0पी0की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड लो0नि0वि0
सतपुली (मु0 कोटद्वार)

केवल E-Mail/Fax द्वारा

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 2270 /26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी जुलाई 27 ,2018

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं0–3067/26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनांक 28.06.2016 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कल्जीखाल से साकनी बड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम साकनी बड़ी पट्टी पूर्वी मनियारस्यूँ,तहसील पौड़ी के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–06 एवं ग्राम साकनी छोटी के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–07 तथा ग्राम धौड़ा के नॉन जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या–16 से कुल 8.854 है0,श्रेणी 10(4) में आकृषित भीटा दर्ज भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत की गयी थी किन्तु उक्त भूमि को वन विभाग के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु पुनः उपयुक्त भूमि का चयन कर उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने अपने पत्र संख्याः 247/जे0ए0/2018–19 दिनांक 23.07.2018 के द्वारा कल्जीखाल से साकनीबड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम कण्डी पट्टी रावतस्यूँ की नॉन जेड0ए0श्रेणी 9(3)ड अन्य कारणों से कृषि योग्य बंजर भूमि खाता सं0 1/17 बंजर, खसरा नं0 3 रक्वा रक्वा 6.417 मध्ये 6.129 है0, खसरा नं0 18 रकवा 0.895 है0, खसरा नं0 20 रकवा 1.613 मध्ये 1.315 है0 कुल 8.339 है0 एवं ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ के नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख 2 ऐसे वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो के खाता सं0 318, खसरा सं0 42 रकवा 16.263 है0 मध्ये 11.000 है0 मध्ये 0.515 है0 कुल दोनों ग्रामों से 8.854 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित कर संस्तुति की गई है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मकान, पनघट, कब्रिस्तान,धर्मशाला इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है तथा उक्त भूमि राज्य सरकार केशर हिन्द भूमि है जो कि विवाद रहित है।

2. शासनादेश संख्याः 2173/XVII (2)/2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः रा0मा0 संख्या 121 (नया 309) के किमी 238 से 243 (मुसागली से पाबौ) के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु उपजिलाधिकारी बा0पौड़ी की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम कण्डी पट्टी रावतस्यूँ की नॉन जेड0ए0श्रेणी 9(3)ड अन्य कारणों से कृषि योग्य बंजर भूमि खाता सं0 1/17 बंजर, खसरा नं0 3 रक्वा रक्वा 6.417 मध्य 6.129 है0, खसरा नं0 18 रकवा 0.895 है0, खसरा नं0 20 रकवा 1.613 मध्ये 1.315 है0 कुल 8.339 है0 एवं ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ के नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3)ख2 ऐसे वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो के खाता सं0 318 खसरा सं0 42 रकवा 16.263 है0 मध्ये 11.000 है0 मध्ये 0.515 है0 कुल दोनों ग्रामों से 8.854 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इस कार्यालय के पूर्व आदेश सं0–3067/26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018 दिनांक 28.06.2016 को निरस्त किया जाता है।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सचिव,राजस्व विभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,लो0नि0वि0 सतपुली।
5– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,पौड़ी।
6– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,श्रीनगर।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

ग्राम – मरगुरा(?) पट्टी – रावतस्यूं परगना – बारहस्यूं तहसील – श्रीनगर जिला – गढ़वाल

जोत (खेवट) खाता नं०	मुन्तखिब (खतौनी) खाता नं०	खातेदार / काबिज का नाम पितृ नाम व निवास स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नं०	रकबा (हे०) में	नाम तोक	गैर मजरूआ मुमकिन जोत	मालगुजारी	कैफियत	11-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
38	श्रेणी 4(3) ख – (1) (2a) (2) झाड़ी 3/8	वन अनुपयुक्त [illegible] झाड़ी		2	0.040	बुरांडिया(?)													
				4	0.098	"													
				7	0.033	"													
				38	2.26	झोपड़ी(?)													
				42	16.262	"													
				43	0.406	"													
				59	0.214	लीला(?)													
				69	0.140	[illegible]													
				130	0.539	[illegible]													
				165	0.019	सीला(?)													
				167	0.199	"													
				171	13.647	"													
				232	0.150	[illegible]													
				233	0.326	[illegible]													
				260	0.078	"													
				265	0.379	[illegible]													
				270	0.030	"													
				284	21.558	[illegible]													
				291	0.048	[illegible]													
				307	0.356	[illegible]													
				369	0.028	[illegible]													
			योग	21	37.711														

ख – (1) [illegible] वन [illegible] झाड़ी के [illegible] पाये जाते हैं - कोई नहीं

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय [illegible] दिनांक 15/12/2017 के [illegible] ग्राम मरगुरा(?) पट्टी [illegible] नं. 42 [illegible] 4.800 हे० [illegible] 14-12-17 [illegible] 2017 [illegible]

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय [illegible] 12 [illegible] 2018 [illegible] श्रीनगर [illegible] 1311 [illegible] 273/XV(?)/(2)/2012-18 (120) 2010 [illegible] ग्राम मरगुरा(?) पट्टी रावतस्यूं [illegible] 2 [illegible] 16.263 हे० [illegible] हस्तांतरण हेतु [illegible] 1-4-18

जिलाधिकारी महोदय [illegible] 26 [illegible] 2018 दिनांक [illegible] 2018 [illegible] ग्राम मरगुरा(?) [illegible] नं. 42 [illegible] 16.263 [illegible] 9.936 हे० [illegible] हस्तांतरण हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरण होने से दर्ज किया [illegible] 04-18 [illegible]

[illegible] जिलाधिकारी महोदय [illegible] 2277/26-प्रभा० अधि० (जो०अ०) /2018 दिनांक [illegible] 2016 के [illegible] 16.262 [illegible] 8.254 हे० [illegible] ग्राम [illegible] पट्टी रावतस्यूं [illegible] 1 1/2 [illegible] 0.129 हे० [illegible] 1.215 हे० [illegible] 0.379 हे० [illegible] 1.614 [illegible] ग्राम [illegible] (2a) 2 [illegible] 42 [illegible] 16.263 हे० [illegible] 1.000 [illegible] 0.318 [illegible] 8.254 हे० [illegible] 0.515 [illegible] हस्तांतरण हेतु वन विभाग [illegible] जिलाधिकारी [illegible] 27/7/18 [illegible]

[illegible signature] 27-3-18(?)

महोदय, नकल खतौनी [illegible]

[illegible signature]

रा० [illegible]

ग्राम — कण्डी पट्टी — रावतस्यूं परगना — बारहस्यूं तहसील — श्रीनगर जिला — गढ़वाल

मुन्तखिब (खतौनी) खाता नं०	खातेदार / काबिज का नाम पिता नाम व निवास स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	खाता खसरा नं०	क्षेत्रफल (है०) में	नाम तोक	मौरूसी / गैर मजरुआ शामिल जोत	मालगुजारी	योग	मालिकाना / थोकदारी	सिंचित जमीन तलाऊ	उपजाऊ अव्वल	उपजाऊ दोयम	कंटाल	इजरान	कुल क्षेत्रफल	विवरण काश्तकार	विवरण काबिज	विवरण
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
श्रेणी 9(3)(5) अन्य कृषि योग्य बंजर																		
1117	बंजर		1	0.123	[illegible]													
			3	6.417	"													
			18	0.895	"													
			20	1.613	"													
			84	0.028	[illegible]													
			96	0.020	[illegible]													
			98	0.004	[illegible]													
			103	0.009	[illegible]													
			115	0.016	"													
			121	0.013	[illegible]													
			186	0.035	"													
			190	0.289	"													
			191	0.335	"													
			192	0.360	"													
			193	0.718	"													
			209	0.015	[illegible]													
			237	0.008	[illegible]													
			242	0.079	[illegible]													
			248	0.023	[illegible]													
			265	0.262	[illegible]													
			370	0.008	[illegible]													
			317	0.555	"													
			318	0.265	"													
			321	0.058	"													
			329	0.040	"													
			335	0.894	"													
			367	0.264	[illegible]													
		योग	29	12.837														

मु० आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक संख्या 2271/26 प्रशा० सचिव (जे०प्र०आ०) 2018 दिनांक पौड़ी जुलाई 27, 2018 ... संख्या 3067/2 - प्रमु० सचिव (जे०प्र०स०)/2018 दिनांक ... 6/2016 के द्वारा ... [illegible] ... ग्राम कण्डी पट्टी रावतस्यूं ... श्रेणी 9(3)(5) ... खाता नं० 1117 ... 6.417 मध्ये 6.129 ... 0.895 ... 1.613 ... 1.315 है० कुल 8.339 है० ... 318 ... 11.000 है० मध्ये ... [illegible] ... गढ़वाल ... [illegible]

महोदय

नकल खतौनी ... [illegible]

(हस्ताक्षर)

रा० उ० नि०

[illegible]

परियोजना का नाम :- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में कल्जीखाल से सांकरी बरी मोटर मार्ग के कि०मी० 0-00 से 7.578 कि०मी० के निर्माण हेतु सिविल भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जनपद पौड़ी गढ़वाल में कल्जीखाल से सांकरी बरी तक मोटर मार्ग (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 7.575 तक) के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु 4.427 है० सिविल भूमि के दोगुने क्षेत्रफल हेतु ग्राम कण्डी एवं मरगूण की सिविल भूमि 8.854 है० भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध है, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

(हस्ताक्षर)
([illegible])
प०प०
[illegible]

प्रपत्र-30

Annexure-I

FORM - I

(For linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector
Pauri Garhwal

No 409/26-प्र॰वा॰ अधि॰ (सा॰ प्र॰वा॰) Dated 16-02-15

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherin the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights). Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.427 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department for construction of Kaljikhal to Saknibadi Motor Road (Village Link Road) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Naugaon, Saknibadi, Deval, Goran, Sakni Choti villages in Pauri tehsils.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.427 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the Frest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(c) The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/ processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

16.2.15

(Chandra Sekhar Bhatt)
District Collector, Pauri Garhwal
जिलाधिकारी
गढ़वाल